रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.एस.-अ.-31072024-255941 CG-AS-E-31072024-255941

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] No. 554] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SRAVANA 2, 1946

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम

अधिसूचना

जोरहाट, 12 जून, 2024

फा.सं. एनआईडीजे/2024-25/सीनेट.—राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 31के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्थान की सीनेट राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम के लिए निम्नलिखित प्रथम अध्यादेश बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम प्रथम अध्यादेश 2024 है।
- (2) ये अध्यादेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2.परिभाषाएं -(1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क)'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख)'शैक्षिक' से शिक्षण, अधिगम, अभ्यास, अनुसंधान और प्रकाशन से संबंधित गतिविधियां अभिप्रेत है;
- (ग)'शैक्षिक कैलेंडर' में विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों की तारीखें सम्मिलित हैं;

4590 GI/2024 (1)

- (घ)'शैक्षिक दिशा-निर्देश' से शैक्षिक मामलों के नियमों और विनियमों का संकलन अभिप्रेत है, जैसाकि शैक्षिक सलाहकार समिति अथवा संकाय फोरम द्वारा सिफारिश की गई है और सीनेट द्वारा अनुमोदित की गई है;
- (ङ.)'शैक्षिक कार्यक्रम' में शैक्षणिक क्रियाकलापों के अनुक्रम सम्मलित हैं,जिसके परिणामस्वरूप डिग्री प्राप्त होती है;
- (च) 'शैक्षिक वर्ष' से ग्रीष्मावकाश अथवा शीतावकाश सहित दो नियमित सेमेस्टर अभिप्रेत है;
- (छ) 'अभ्यर्थी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संस्थान के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है;
- (ज) 'दीक्षांत' से संस्थान का दीक्षांत समारोह अभिप्रेत है;
- (झ) 'पाठ्यक्रम' में, विषयों के क्रम जो एक सेमेस्टर के दौरान पूरे किए जा सकते है; सम्मिलित है;
- (ञ) 'कार्यक्रम की पाठ्यचर्या' से पाठ्यक्रमों का समूह और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां अभिप्रेत हैं;
- (ट) 'डिग्री' से संस्थान का कोई भी स्नातकडिग्री कार्यक्रम अभिप्रेत है;
- (ठ) 'विधा' से किसी विशेष संकाय विषय (स्ट्रीम) के अंतर्गत संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों अथवा पाठ्यक्रमों की शाखा अभिप्रेत है;
- (ड) 'ऐच्छिक' से विशेषज्ञ क्षेत्र में विकल्पों में से प्रस्तावित विषय अभिप्रेत हैं;
- (ढ) 'परीक्षा' से छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (ण) 'श्रेणी' से एक अक्षर श्रेणी, जो किसी पाठ्यक्रम में छात्र के समग्र प्रदर्शन को इंगित करती हैं, अभिप्रेत है;
- (त) 'जूरी' अथवा 'जूरी पैनल' से सेमेस्टर के दौरान और अंत में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए संकाय या बाहरी विशेषज्ञों का एक पैनल अभिप्रेत है;
- (थ) 'छात्र' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी पूर्णकालिक स्नातक कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत है जिसके परिणामस्वरूप उसे संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी;
- (3)शब्द और पद जिनका प्रयोग यहां किया गया है और इन अध्यादेशों में परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम में या संविधि परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या संविधि में हैं;
- (4)इन अध्यादेशों में प्रयोग किए गए अथवा परिभाषित शब्दों और पदों का परिनियमों अथवा अधिनियम में प्रयोग किए गए अथवा परिभाषित शब्दों और पदों से कोई मतभेद होने पर परिनियमों अथवा अधिनियम के संबंधित उपबंध लागू होंगे।
- 3. संस्थान का शैक्षिक दर्शनः(1) पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्य विवरण और शिक्षण या सभी शिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई सीखने की पद्धितयों में सिद्धांत अनुसंधान व कुशलता के युक्तिसंगत, तार्किक और क्रमिक अभिनव प्रक्रिया के संयोजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें धारणा के प्रति व्यावहारिक और बौद्धिक दृष्टिकोण, विश्लेषण और डिज़ाइन समस्याओं के लिए बहु-समाधानकी परिकल्पना करने, डिज़ाइन परियोजनाओं के लिए लाइव एक्सपोजर और संबंधित विषयके अनुभव पर बल दिया गया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है;
- (क) स्वतंत्र और समग्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना;
- (ख) रचनात्मक अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से अभिनवीकरण एवं शिक्षण;
- (ग) सांस्कृतिक विविधता के लिए संवेदनशीलता और समझ विकसित करने के लिए;
- (घ) समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की उपयुक्तता विकसित करना;

- (ड) अनुभव आधारित शिक्षण के लिए अवसरों को एकीकृत करना;
- (च) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्यनीतिक डिज़ाइन हस्तक्षेप के संदर्भ में पर्यावरण, तकनीकी और सामाजिक नीति संबंधी मुद्दों के साथ डिज़ाइन शिक्षण पर बल देना और उसे एकीकृत करना;
- (छ) जैव विविधता, संस्कृति और शिल्प में निहित अनुठी शक्तियों का उपयोग करना;
- (ज) डिज़ाइन आधारित अनुसंधान के लिए अवसर उत्पन्न करना;
- (झ) डिज़ाइन वृत्ति के लिए नेतृत्व प्रदान करना; और
- (অ) समाज और उद्यागों के हित के लिए डिज़ाइन की उपयोगिता का प्रसार करना।
- (2) संस्थान द्वारा प्रस्तावित सभी शिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित को शामिल करने के लिए अनुकूल बनाया जाएगा:-
- (क) डिज़ाइन के प्रति एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण;
- (ख) व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से मजबूत कौशल आधार विकसित करना;
- (ग) संरचनाबद्ध इंटर्निशिप और डिज़ाइन परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक जीवन से जुड़ी प्रोफेशनल स्थितियों के लिए अवसर, डिज़ाइन की प्रक्रिया और विभिन्न डिज़ाइन विधाओं के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:
- (घ) डिज़ाइन के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक आयाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना;
- (ड) मूल्य आधारित और सामाजिक रूप से प्रासंगिक डिज़ाइन; और
- (च) डिज़ाइन शिक्षा और व्यवहार में वैश्विक दृष्टिकोण;
- (3) संस्थान के शिक्षण कार्यक्रम की समग्र संरचना सिद्धांत, कौशल, डिज़ाइन परियोजनाओं, अनुसंधान और क्षेत्र के अनुभवों और उद्योग और बाजार की आवश्यकता के बारे में हितधारकों के फीडबैक का एक संयोजन होगा, तथा इसे अत्याधुनिक डिज़ाइन स्टूडियो, कौशल और अभिनव प्रयोगशालाओं, एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र, और ऐसी अन्य संबंधित विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाएं प्राप्त होंगी।
- 4. स्नातक कार्यक्रम- (1) यह संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम संविधि, 2023 के "संकाय विषय" शीर्षक के अधीन उल्लिखित विभिन्न डिजाइन और अन्य संबंधित क्षेत्रों (जैसे, लिबरल आर्ट, लिलत कला, आदि) में बैचलर ऑफ डिज़ाइन डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा।
- (2) बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम चार शैक्षिक वर्षों का होगा, जिसमें प्रत्येक में दो सेमेस्टर शामिल होंगे।
- (3) बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि छह शैक्षिक वर्ष होगी और इसमें स्नातक कार्यक्रमों में निर्धारित शैक्षिक वर्ष को दोहराने और शैक्षिक अवकाश लेना शामिल होगा।
- (4) किसी भी संकाय विषय में सभी बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों में शुरुआती दो सेमेस्टर कॉमन फाउंडेशन प्रोग्राम के रूप में होंगे।
- (5) फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद विधा या संकाय विषय का आबंटन उनके फाउंडेशन प्रोग्राम में छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होगा और फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद विधा या संकाय विषय का आबंटन स्नातक कार्यक्रम के अनुसार होगा।
- (6) फाउंडेशन प्रोग्राम के पश्चात् संकाय विषय में शिक्षण के छह सेमेस्टर या किसी भी संकाय के विषयों के अधीन किसी भी विशेषज्ञता या किसी भी संकाय के विषयों के अधीन कोई विशेषज्ञता शामिल होती है।
- (7) छह सेमेस्टर में से, अंतिम सेमेस्टर में संबंधित संकाय विषय या तदनुसार विशेषज्ञता के लिए प्रासंगिक स्नातक परियोजना शामिल होगी।

- (8) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी विषय (विज्ञान, कला, वाणिज्य, मानविकी, आदि) से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, बैचलर ऑफ डिजाइन डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- (9) अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो वे भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- परन्तु ऐसे अभ्यर्थी चयनित होते हैं तो उन्हें अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और उनके द्वारा संस्थान द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक या उससे पूर्व पात्रता परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
- 5. प्रवेश संबंधी अधिसूचना -(1) शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिसूचना, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, संस्थान की वेबसाइट पर और ऐसे अन्य मीडिया पर अधिसूचित की जाएगी जैसा कि शासी परिषद द्वारा निदेश दिया गया हो, जिसमें आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख का उल्लेख होगा।
- (2) प्रवेश की अधिसूचना में शैक्षणिक कार्यक्रमों का ब्यौरा, प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम में सीटों की संख्या, कार्यक्रमों की अवधि, प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता, आयु सीमा, प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के स्थान तथा ऐसी अन्य सूचना होगी।
- (3) भावी छात्रों को प्रवेश पुस्तिका या विवरणिका या प्रोस्पेक्टस के रूप में प्रवेश से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 6. प्रवेश परीक्षा-(1) स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तरों पर इसके विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के चयनके लिए संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी।
- (2) संस्थान, शासी परिषद के पूर्व अनुमोदन से, अपने प्रवेश स्कोर के माध्यम से प्रवेश के लिए छात्रों के चयन हेतु किसी भी कंसोर्टियम या समान प्रवेश परीक्षा में भी शामिल हो सकता है।

7. विदेशी छात्रों का प्रवेशः

अधिसंख्य आधार पर 15% सीटें, अध्ययन के विस्तार कार्यक्रम के लिए विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएंगी;

- 8.छात्रों का नामांकन (1) सभी छात्र, जिनको संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में यथाअपेक्षित शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को शैक्षणिक कार्यालय में जमा कराना होगा, ऐसा न करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (2) प्रत्येक छात्र जिनको संस्थान में प्रवेश दिया गया है उन्हें निर्धारित समय सीमा में संस्थान द्वारा अधिसूचित शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्कों और जमा-राशि का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (3) लागू शुल्क और जमा-राशि का भुगतान करने पर सभी अनिवार्य दस्तावेजों का सत्यापन करने और उन्हें जमा करने के पश्चात संस्थान छात्र को एक नामांकन नंबर प्रदान करेगा।
- (4) उक्त नामांकन संख्या, संबंधित छात्र के संबंध में संस्थान सभी अभिलेखों में स्थायी संदर्भ संख्या होगी।
- (5) विस्तार कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण तारीख, आमतौर पर छात्र द्वारा कार्यक्रम के लिए औपचारिक रूप से शुल्क के भुगतान की तारीख होगी। इस तारीख को कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यों और प्रयोजनों के लिए ज्वाइनिंग तारीख माना जाएगा।
- (6) किसी भी छात्र के नामांकन को, संस्थान के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार, अनुशासनात्मक आधार पर समाप्त किया जा सकता है।
- 9. सीटों का आरक्षणः संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), भिन्न रूप में अशक्त अभ्यर्थियों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

- 10. शिक्षण और अन्य शुल्क तथा जमा-निर्धारित शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क तथा जमा, मेस प्रभार को छोड़कर जैसा कि शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, सभी छात्रों द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष या सेमेस्टर के आरंभ में देय होगा जैसा कि संस्थान द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 11. छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाशः छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाश शैक्षिक दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- **12. छात्रों का आचरण**-(1) सभी छात्रों को संस्थान के भीतर एवं बाहर अनुशासन का पालन करते हुए मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है, और वे ऐसी गतिविधियों जो संस्थान को बदनाम कर सकती हैं, में लिप्त नहीं होंगे।
- (2) प्रत्येक छात्र द्वारा "छात्र सूचना सामग्री" के भाग के रूप में प्रदान किए गए "छात्रों के नियम और विनियम" में निहित आचार संहिता का पालन किया जाएगा।
- (3) किसी छात्र द्वारा अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के संबंध में, "छात्र सूचना सामग्री" के भाग के रूप में प्रदान किए गए "छात्रों के लिए नियम और विनियम" में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 13.शैक्षणिक कैलेंडर: अनुशासन प्रमुखों के परामर्श से क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा), प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले, अनुमोदन के लिए सीनेट के समक्ष संस्थान के शिक्षण कार्यक्रमों के शैक्षिक कैलेंडर को तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।
- 14. फाउंडेशन प्रोग्राम-(1) विस्तार कार्यक्रम, एक वर्ष के समान फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ प्रारंभ होगा।
- (2) फाउंडेशन प्रोग्राम छात्रों को आवश्यक दिशा, प्रेरणा, सुविधाओं और अनुभव प्रदान करेंगे ताकि उनकी रचनात्मकता एवं डिजाइन संबंधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।
- (3) फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए क्रेडिट और मूल्यांकन शैक्षिक दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- (4) विस्तार पाठ्यक्रमों के छात्रों को समान फाउंडेशन प्रोग्राम के अंत में विषय के विकल्प का आंबटन, उनकी योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर, प्रत्येक विधा की निर्धारित सीटों और शैक्षिक दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- 15. छात्रों के रिकार्ड का रखरखावः संस्थान का रजिस्ट्रार कार्यालय, शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत फाइल रखेगा और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। व्यक्तिगत फाइल में निम्नलिखित को अंतर्विष्ट होगा-
 - (क) प्रवेश के समय छात्र द्वारा भरा गया व्यक्तिगत डेटा;
 - (ख) माता-पिता और स्थानीय अभिभावक के बारे में जानकारी;
 - (ग) प्रवेश के समय प्रस्तुत की गई चिकित्सकीय जानकारी और फिटनेस प्रमाण-पत्र;
 - (घ) छात्र द्वारा प्रस्तुत की गई सभी वचनबंध;
 - (ङ) छात्र को जारी किए गए किसी चेतावनी-पत्र या ज्ञापन आदि की प्रति;
 - (च) छात्र या पिता या अभिभावक के साथ पत्राचार, यदि कोई हो;
 - (छ) सभी मूल्यांकन ग्रेड शीट्स और छात्रों को जारी शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति;
 - (ज) फीस के भुगतान सहित छात्रावास में प्रवेश के रिकार्ड; और
 - (झ) संस्थान की फीस के भुगतान का रिकार्ड और छात्रों के अध्ययन एवं कैम्पस लाइफ से संबंधित अन्य सभी जानकारी।

- 16. **परीक्षाओं का संचालन**:(1) जूरी द्वारा संचालित सेमेस्टर के दौरान और अंत में, छात्रों के लिए संस्थान में क्रेडिट आधारित मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रणाली (जैसा कि शैक्षिक दिशानिर्देश में दिया गया है) की निम्नानुसार व्यवस्था की जाएगी:-
- (क) क्रेडिट्स आधारित मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें क्रेडिट इकाइयों के बीच सह-संबंध, सप्ताह इकाइयों और साप्ताहिक घंटों के आधार पर समरूपी अध्ययन का भार शामिल हैं;
- (ख) अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम को प्रदान किया गया क्रेडिट;
- (ग) सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों कोप्रदान किया गया क्रेडिट;
- (घ) ग्रेडिंग स्केल सहित ग्रेडिंग प्रणाली;
- (ङ) पाठ्यक्रम संबंधी कार्य सहित शैक्षणिक मूल्यांकन के घटक और जूरी;
- (च) मानक और मूल्यांकन एवं आकलन के चरण अर्थात, अलग-अलग पाठ्यक्रम मूल्यांकन, सेमेस्टर के अंत में जूरी मूल्यांकन, और डिज़ाइन परियोजना मूल्यांकन;
- (छ) अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए छात्रों के उन्नयन को नियमित करने वाली पूर्व अपेक्षाएं;
- (ज) इसी प्रकार, अन्य नियम या दिशा-निर्देश जैसा कि संस्थान द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (2) अध्ययन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए छात्र को अलग-अलग पाठ्यक्रम स्तर, सेमेस्टर के अंत में जूरी स्तर और स्नातक परियोजना स्तर पर क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को पूरी करनी होगी।
- (3) इन अध्यादेशों के अधीन स्नातकपूर्व कार्यक्रम हेतु, शैक्षिक दिशानिर्देशों में दिए अनुसार आकलन और मूल्यांकन मानदंड तब तक वैध होंगे और विस्तार कार्यक्रम के अधीन मूल्यांकन उद्देश्य के लिए लागू रहेंगे जब तक कि इन अध्यादेशों के अंतर्गत शैक्षिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सीनेट द्वारा क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को तैयार और लागू नहीं कर दिया जाता।
- 17. **स्नातक डिग्री परियोजनाः**(1) प्रत्येक छात्र डिजाइन कार्यक्रम में स्नातक के अंतिम सेमेस्टर में स्वतंत्र कर्ता के रूप में या किसी उद्योग अथवा संस्थान में एक स्नातक डिग्री परियोजना आरंभ करेगा, जो कि डिजाइन बनाने वाले के रूप में उसकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करेगा।
- (2) स्नातक डिग्री परियोजना, शैक्षणिक दिशानिर्देशों के साथ पठित स्नातक डिग्री परियोजना दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी।

18. शैक्षणिक शिकायत निवारण समितिः

- (1) शिक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए निदेशक द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित निवारण समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) इस समिति में कम से कम तीन सदस्य निदेशक द्वारा संकाय से नामांकित होंगे।
- (3) ऐसे संकाय सदस्य जिनके विरूद्ध कोई शिकायत होगी, उन्हें ऐसी सिमति के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।
- (4) शैक्षणिक मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत को पहले क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित अनुशासन अध्यक्ष या संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके शिकायत को हल करेगा, समाधान न होने पर शिकायत को शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति, क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) को अपनी सिफारिशें प्रस्तृत करेगी।
- (6) शैक्षणिक शिकायत निवारण प्रक्रिया की सिफारिशों को संबंधित छात्र को शिकायत दर्ज करने के एक माह के भीतर सुचित किया जाएगा।

19. आकस्मिक मामलेः निदेशक द्वारा, आकस्मिक स्थितियों में, अपने विवेकानुसार उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है तथा 30 दिन के अवधि के भीतर उनके द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के संबंध में शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

पुलक महंत, कार्यवाहक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./323/2024-25]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ASSAM NOTIFICATION

Jorhat; the 12th June 2024

- **F. No. NIDJ/2024-25/Senate.**—In exercise of the powers conferred under Section 30 read with Section 31 of the National Institutes of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Senate of the Institute hereby makes the following first Ordinances of the National Institute of Design, Assam, namely: -
- **Short title and commencement.**—(1) These Ordinances may be called the National Institute of Design, Assam First Ordinance, 2024.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions. -** (1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires
 - (a) "Act" means the National Institutes of Design Act, 2014 (18 of 2014);
 - (b) "academic" means the activities concerned with education like teaching, learning, practicing, research and publication;
 - (c) "academic Calendar" includes dates for various academic activities;
 - (d) "academic Guidelines" means the compilation of rules and regulations in Academic matters as recommended by the Academic Advisory Committee or Faculty Forum and approved by the Senate;
 - (e) "academic programme" includes the sequence of academic activities leading to a degree;
 - (f) "academic year" means two regular semesters along with a summer or winter break;
 - (g) "candidate" means an individual who applies for admission to the undergraduate programme of the Institute;
 - (h) "convocation" means the convocation of the Institute;
 - (i) "course" includes a sequence of topics which can be covered during a semester;
 - (j) "curriculum of a programme" means a set of courses and other academic activities;
 - (k) "degree" means any undergraduate degree programme of the Institute;
 - (l) "discipline" means a branch of educational programs or courses related to studies and research offered by the Institute under a particular faculty stream;
 - (m) "elective" means the subject offered amongst options in specialized field;
 - (n) "examination" means any procedure used to evaluate the academic performance of a student;
 - (o) "grade" means a letter grade indicating the overall performance of a student in a course;
 - (p) "jury" or "jury panel" means a panel of faculty or external experts for evaluation of performance of students during and at the end of semester;
 - (q) "student" means a person registered for the undergraduate programme for full time study leading to the Bachelor's degree of the Institute;
 - (3) The Words and expressions used and not defined in these Ordinances but defined in the Act or the Statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Statutes.
 - (4) If there is any conflict between the words and expressions used or defined in these Ordinances with the Statutes or Act, the corresponding provisions of the Statutes or Act shall prevail.

- **3. Educational Philosophy of the Institute.**—(1) The curricula structure, syllabus and teaching or learning methodologies adopted by the Institute for all teaching programmes shall include a combination of rational, logical and sequential innovative process of theory, research and practice with emphasis on hands on and minds on approach to perception, analysis, and visualisation of multiple solutions for design problems, live exposure to design projects and field experience, aimed at meeting academic objectives namely: -
 - (a) inculcate the ability to think independently and holistically;
 - (b) innovate and learn through creative exploration and experimentation;
 - (c) develop sensitivity to and understanding of cultural diversity;
 - (d) develop felicity in creative problem-solving;
 - (e) integrate opportunities for experiential learning;
 - (f) reinforce and integrate design learning with environmental, technological and social policy issues for strategic design intervention in all fields of the economy;
 - (g) capitalise on the unique strengths in biodiversity, culture and crafts;
 - (h) generate opportunities for design based research;
 - (i) provide leadership to design profession; and
 - (j) spread the power of design for the benefit of the industry and society.
 - (2) All teaching programmes offered by the Institute shall be oriented to incorporate:-
 - (a) An interdisciplinary approach towards design;
 - (b) strong skill base through hands-on experience;
 - (c) exposure to real life professional situations through structured internship and design projects to provide competitive edge to products and services through design process and application of various design disciplines;
 - (d) awareness of social, cultural and ethical dimensions of design;
 - (e)value-based and socially relevant design; and
 - (f) global perspectives in design education and practice;
 - (3) The overall structure of the Institute's teaching programme shall be a combination of theory, skills, design projects, research and field experiences, and stakeholders feedback on industry and market needs, and supported by cutting edge design studios, skill and innovation labs, and the Knowledge Management Centre, and such other related infrastructural facilities.
- **4. Undergraduate Programmes.**—(1) The Institute shall offer courses of study leading to the award of Bachelor of Design degree in various design and other related areas (e.g., liberal arts, fine arts, etc.) mentioned under heading "Faculty Streams" of National Institute of Design, Assam Statutes, 2023.
 - (2) The Bachelor of Design programme shall be of four academic years comprising of two semesters in each.
 - (3) The maximum duration to complete the Bachelor of Design programme shall be six academic years and include the academic year repeat and academic break as stipulated in the undergraduate programmes.
 - (4) All the Bachelor of Design programmes in any faculty stream shall have an initial two semesters as a common foundation programme.
 - (5) The discipline or faculty stream allocation after the foundation programme shall be based on the performance of the students in their foundation programme and the allocation of the discipline or faculty stream after the foundation programme shall be as per the undergraduate programmes.
 - (6) The foundation programme is followed by six semesters of learning in a faculty stream or any specialization under any of the faculty streams or any specialization under any of the faculty streams.
 - (7) Out of the six semesters, the final semester shall include a graduation project relevant to the respective faculty stream or specialization accordingly.
 - (8) A Candidate who has passed Higher Secondary Certificate Examination or equivalent from any stream (Science, Arts, Commerce, Humanities, etc.) from a recognised Board shall be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design degree programme.
 - (9) A Candidate who has appeared for the qualifying examination and whose results have not been declared at the time of application for admission shall also be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design degree programmes:

- Provided that such candidate shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date specified by the Institute, failing which the candidate's admission shall stand cancelled.
- **5. Admission notification.-**(1) Admission to the academic programmes shall be notified at the national level through print, electronic media on the website of the Institutes and such other media as may be directed by the Governing Council which interalia shall mention the last date for submission of application form.
 - (2) The admission notification shall include details of academic programmes, number of seats in each courses of study programme, duration of the programmes, minimum eligibility for admission, age limits, venues for the admission test centers and such other information.
 - (3) All the information related to the admission may also be supplied as an admission booklet or brochure or prospectus and made available to the prospective students.
- **6. Admission Test. -** (1) The Institute shall conduct a national-level admission test to select the candidates for admission into its various programmes on offer at undergraduate, postgraduate and doctoral levels.
- (2) The Institute may, with the prior approval of the Governing Council, may also join any consortium or common entrance examination for the selection of the students for the admission through its entrance score.
- **7. Admission to Foreign Students.-**Fifteen percent seats on supernuerary basis in expand programme of studies shall be provided for candidates of foreign nationality.
- **8. Enrolment of students.**—(1) Every student offered admission to a programme at the Institute shall submit to the academic office of the Institute within the stipulated period, such academic certificates and documents as may be required, failing which their candidature stands cancelled.
 - (2) Every student offered admission shall pay the tuition and other fees and deposits as notified by the Institute, within the stipulated time frame, failing which their candidature stands cancelled.
 - (3) Upon payment of fees and deposits and upon verification and submission of all mandatory documents, the Institute shall provide an Enrolment Number to the student.
 - (4) The Enrolment Number shall be the permanent reference number in all records of the Institute pertaining to the student concerned.
 - (5) The date of initial registration for expand programme shall normally be the date on which the student formally registers for the programme upon payment of fees. This date shall be construed as the date of joining the programme for all intents and purposes.
 - (6) The enrolment of a student may be terminated on disciplinary grounds, in accordance with the disciplinary rules of the Institute.
- **9. Reservation of Seats.-**The Institute shall follow relevant rules and regulations with respect to reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections (EWS), differently-abled candidates, and other special categories of persons as notified by the Government of India from time to time for Institutions of National Importance.
- **10. Tuition and Other Fees and Deposits.** The prescribed tuition fees, other fees and deposits, except mess charges, as approved by the Governing Council, shall be payable by all students at the beginning of each academic year or semester as notified by the Institute.
- **11. Attendance, Absence and Leave for the students.**—The attendance, absence and leave for the students shall be regulated as per the Academic Guidelines.
- **12. Students Conduct.**—(1) Every student shall observe discipline and maintain decorum both inside and outside the campus and shall not indulge in any activity which may bring disrepute to the Institute.
 - (2) Every student shall observe the code of conduct as stipulated in the "Rules & Regulations for the Students" supplied to the students as part of the "Students Information Pack".
 - (3) Any act of indiscipline committed by a student shall be dealt with by the Disciplinary Committee in accordance with the norms and procedure stipulated in the "Rules & Regulations for the Students" supplied to the students as part of the "Students Information Pack".
- **13. Academic Calendar.** The Activity Chairperson (Education) in consultation with the Discipline leads, shall prepare and place the Academic Calendar of teaching programmes of the Institute before the Senate for approval, prior to the beginning of each academic year.
- 14. The Foundation Programme.-(1) The expand programme shall commence with a one year common

Foundation Programe.

- (2) The Foundation Programme shall provide the necessary direction, stimuli, facilities and experience to foster creativity and design thinking.
- (3) The credits and evaluation for the foundation programme shall be regulated in accordance with the Academic Guidelines.
- (4) Allocation of discipline choice of student for the expand courses at the end of the common Foundation Programme shall be based on merit-cum-choice basis, for the number of seats prescribed in each Discipline and shall be regulated in accordance with the Academic Guidelines?
- **15. Maintenance of Student Records.** The Registrar's Office of the Institute shall maintain a personal file of every student admitted to the academic programmes and such personal information shall be kept confidential. The personal file shall contain: -
 - (a) Personal data filled by the student at the time of admission;
 - (b) Information about parents and local guardian;
 - (c) medical history and fitness certificate submitted at the time of admission;
 - (d) all undertakings submitted by the student;
 - (e) copy of any warning letters or memos issued to the student;
 - (f) communication with the student or parent or guardian, if any;
 - (g) copy of all evaluation grade sheets and academic progress reports issued to the students;
 - (h) record of admission to the hostel including payment of fees; and
 - (i) record of payment of fees of institute and all such other information relevant to the study and campus life of the students.
- **16.** Conduct of Examinations. (1) The Institute shall have credit based evaluation and assessment system (as enumerated in the Academic Guidelines) for the students during and at the end of semester conducted by the Jury as under: -
 - (a) credits based evaluation system including correlation between credit units, week units and the corresponding study load in terms of hours per week;
 - (b) credits assigned to each course of study;
 - (c) credits assigned for co-curricular and extra-curricular activities;
 - (d) grading system including grading scales;
 - (e) components of academic evaluation including coursework and jury;
 - (f) parameters and stages of evaluation and assessment, viz., individual course evaluation, semester- end jury assessment, and Design Project assessment;
 - (g) pre-requisites governing advancement of a student to the next semester or year; and
 - (h) such other rules or guidelines as may be notified by the Institute;
 - (2) A student shall be required to fulfill credit and evaluation norms at individual course level, semesterend Jury level and Graduation Project level for successful completion of a programme of study.
 - (3) The credits and evaluation norms, as provided in the Academic Guidelines, for undergraduate programme application of these Ordinances shall remain valid and apply for purpose of evaluation under the expand programme until the credit and evaluation norms are prepared and notified by the Senate on the recommendation of the Academic Advisory Committee under these Ordinances.
- **17. Graduation Degree Project.**–(1) Each student shall undertake a Graduation Degree Project that is self-driven or in an industry or institution in the last semester of the Bachelor in Design Programme demonstrate expertise as a design practitioner.
 - (2) The Graduation Degree Project shall be governed by the Graduation Degree Project Guidelines read in conjunction with the Academic Guidelines.
- **18. Academic Grievances Redressal Committee.**—(1) The Director shall appoint Academic Grievances Redressal Committee to address grievances relating to academic matters.
 - (2) The Committee shall comprise at least three members of the faculty to be nominated by the Director.

- (3) The faculty against whom a grievance is made shall not be nominated as a member of such Committee.
- (4) Any grievance related to academic matters shall first be submitted to the Activity Chairperson (Education), who shall resolve the grievance in consultation with the Discipline lead concerned or the authorities concerned, failing which the grievance shall be referred to the Academic Grievances Redressal Committee.
- (5) The Academic Grievances Redressal Committee shall submit its recommendations to the Activity Chairperson (Education).
- (6) The recommendation of the Academic Grievances Redressal Process shall be communicated to the student concerned within a month of filing of the grievance.
- **19. Emergent Cases.-**The Director may, in emergent situations, take such decision and action as deemed appropriate and obtain the approval of the Governing Council on such action taken by him, within a period of thirty days.

PULAK MAHANTA, Designation: Director (officiating)

[ADVT.-III/4/Exty./323/2024-25]